न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 09/2020 दायरा दिनांक 03.11.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. पर्वत सिंह पुत्र गजनलाल जाति अहीर निवासी बलारपुर तहसील शाहबाद जिला–बारां।
2. तेजसिंह पुत्र गजनलाल जाति अहीर निवासी बलारपुर तहसील शाहबाद जिला–बारां।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील निवासी मण्डी भौरा तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. नायव तहसीलदार शाहबाद जिला –बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री अरविन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री, वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 24.03.2022

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण क्रमांक 108 दिनांक 31.12.2001 खातेदारी बहक भागीरथ पुत्र थावरा नं. 73 रकबा 5.00 बीघा

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध दिनांक 31.12.2001 ग्राम मण्डीभौरा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील निवासी मण्डी भौरा के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 31.12.2001 रकबा 5.00 बीघा सर्वथा अवैध, विधि विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को दिनांक 11.09.1998 को 5.00 बीघा भूमि आवंटन होना बताकर तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने की मिथ्या रिपोर्ट कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि दिनांक 11.09.1998 को भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को कोई भूमि का आवंटन नही हुआ । राजस्व कर्मियों ने आपराधिक षडयन्त्र में शामिल होकर बिना आवंटन के ही रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट कम 2 ने नामान्तरकरण तस्दीक करने में भारी त्रुटि की है जबकि रेस्पोडन्ट कम 1 को आवंटन ही नहीं हुआ तो आवंटन की शर्तो की पालना की बात तथ्यों से परे तथा काल्पनिक है । रेस्पोडेन्ट कम 1 को दिनांक 11.09.1998 को आवंटन नही हुआ, जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:17 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन ही नही हुआ तो कोई दखल दिये जाने, आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने, आवंटी का कब्जा होने के तथ्य मिथ्या, काल्पनिक तथा कूट रचित है। राजस्व कर्मियों द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रुप से भ्रष्ट आचरण करते हुये रेस्पोडेन्ट कम 1 के खातेदारी में दर्ज किया है। रेस्पोडन्ट कम 2 द्वारा हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की रेस्पोडेन्ट कम 1 को दिनांक 31.12.2001 की मिथ्या, फर्जी रिपोर्ट को जॉच किये बिना नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 को भूमि आवंटन नही किया गया। खातेदारी इंतकाल कूटरचित होकर रिकार्ड में हेराफेरी कर राजस्व कर्मियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुये बिना आवंटन के ही भ्रष्ट आचरण करते हुये रेस्पोडन्ट कम 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है । बिना आवंटन के ही अवैध व फर्जी तौर पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो सर्वथा अवैध व विधि विरुद्ध होकर निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट कम 1 को आवंटन नही हुआ भूमि पर कब्जा भी रेस्पोडेन्ट कम 1 का भी नही रहा खसरा नं. 73 में अपीलान्टस बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त है। उक्त खसरा नं. 73 का नक्शा तरमीम नही है जिसका अनुचित लाभ उठाने के लिए रेस्पोडन्ट कम 1 लगभग 50–60 लोगों का समूह बनाकर जबरन अपीलान्टय की भूमि को हांकने कब्जा करने पहुंचा गया। अपीलान्टस ने विरोध किया तो अपीलान्टस के विरुद्ध मारपीट करने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का झूठा प्रकरण थाना कस्बाथाना में दर्ज करवा दिया तब अपीलान्ट्स ने रेस्पोडन्ट कम 1 के राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की तब दिनांक 16.08.2020 को खातेदारी इन्तकाल की नकल मिलने पर रेस्पोडेण्ट कम – 1 को बिना आवंटन के ही किये विरुद्ध रुप से खातेदारी नामान्तरकरण दर्ज कर भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम दर्ज कर दिये जाने ज्ञान हुआ । अवैध रुप से दर्ज किये गये अपीलाधीन इंतकाल अपीलान्टस को ज्ञान नही था। दिनांक 16.08.2020 को नकल प्राप्त करने पर इंतकाल का ज्ञान हुआ। तिथी जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से लिखित जबाब प्रस्तुत किया है :–

1. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील असत्य तथ्यों पर आधाररित होने से अस्वीकार है। अपीलान्ट प्रश्नगत नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार नहीं है। इस कारण अपीलान्ट को यह अपील प्रस्तुत करने को कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है।
2. विवादित आराजी का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को दिनांक 25.09.1998 को विधिवत आवंटन हुआ है इस आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त आवंटन आवेदन पर रिपोर्ट पटवारी हल्का ने जिस दिनांक 11.09.1998 को अपनी रिपोर्ट लगाई है वह दर्ज कर दी इस कारण अपीलान्ट्स ने इस क्लेरिक्ल मिस्टेक का फायदा उठाने की नीयत से यह अपील पेश की है जो सारहीन होने से निरस्तनीय है।
3. यह है कि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 [illegible] 25.9.98 से पूर्व से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला [illegible] क्रम 1 को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:17 IST
Reason: SelfAttested

4. अपीलान्ट की अपील अवधि मध्य नहीं है इस कारण चलने योग्य नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को दिनांक 11.09.1998 को 5.00 बीघा भूमि आवंटन होना बताकर तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने की मिथ्या रिपोर्ट कर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जबकि दिनांक 11.09.1998 को भागीरथ पुत्र थावरा जाति भील को कोई भूमि का आवंटन नहीं हुआ। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि विवादित आराजी का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को दिनांक 25.09.1998 को विधिवत आवंटन हुआ है, इस आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त आवंटन आवेदन पर रिपोर्ट पटवारी हल्का ने जिस दिनांक 11.09.1998 को अपनी रिपोर्ट लगाई है वह दर्ज कर दी इस कारण अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 विवादित आराजी पर आवंटन दिनांक 25.9.98 से पूर्व से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसी आधार पर रेस्पोडेण्ट क्रम 1 को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 108 ग्राम मण्डीभौरा निर्णय दिनांक 31.12.2001 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:17 IST
Reason: SelfAttested